

161

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

दिनांक १०/११/१७

प्र० क० विविध - एक/१७

श्री मती शतनी वशिष्ठ इन्द्रा २२०

जसुवा ----- आवेदक

पारा आज १६/०१/१७ को

विरुद्ध

वृत्त

मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदक

१६/११/१७
राजस्व मण्डल

१६/०१/१७

भूल-सुधार वावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ३२, म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

१- यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक २७७६-तीन/१३ में दिनांक १५.०७.२०१३ को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से पृष्ठ क्रमांक-१ के पैराग्राफ-२ के लाइन नम्बर-३ में खसरा क्रमांक ५६९/१/४ के स्थान पर त्रुटिवश खसरा नम्बर ५६९/४ टंकित हो गया है।

अतः मान० न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक-१ के पैराग्राफ-२ के लाइन नम्बर-३ में खसरा क्रमांक ५६९/४ के स्थान पर खसरा क्रमांक ५६९/१/४ टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक १६/०१/१७

द्वारा अभिभाषक

स्थान- ग्वालियर

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट


R
/ce

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9019-एक/17

जिला-छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16 .01.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2776-तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.13 में भूलवश टंकण की त्रुटि से पृष्ठ क्रमांक 1 के पैराग्राफ 2 के लाइन नम्बर 3 में खसरा क्रमांक 569/1/4 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा नम्बर 569/4 टंकित हो गया है। उनके द्वारा खसरा क्रमांक 569/4 के स्थान पर खसरा क्रमांक 569/1/4 किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त खसरा क्रमांक की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा पृष्ठ क्रमांक 1 के पैराग्राफ 2 के लाइन नम्बर 3 में खसरा क्रमांक 569/4 के स्थान पर खसरा क्रमांक 569/1/4 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p>	 सदस्य

